



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री मूलचन्द सैनी पुत्र श्री नोलाराम सैनी श्री लक्ष्मी गृह नि.स.समिति लि. योजना दीप विहार	01	337.33

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),

जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 814 / 27.04.2022

RO/R-259
01/5/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण-प्रथम)/2022/डी- 842

दिनांक:- 29/04/2022

प्रारूप-13 (नियम 13(2) देखिये) लोक सूचना

अधोहस्ताक्षकर्ता की जानकारी में लाया गया है कि निम्नानुसार भूमि या उसके भाग का दिनांक 17.6.99 से पूर्व संयुक्त गृह निर्माण स.समिति की योजना डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर ई ब्लॉक एवं मोती भवन गृह निर्माण स.समिति की योजना 14 कृषि विहार ए ब्लॉक सृजन कर भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है/किया गया है इसलिये निम्न भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है:-

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील व जिला	गृ.नि.स.स. का नाम व योजना का नाम	खसरा न.		क्षेत्रफल (बीघा/बिस्वा)	नाम खातेदार
				गत	हाल		
1	बदरवास	जयपुर	संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि की योजना डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर ई ब्लॉक मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 14 कृषि विहार ए ब्लॉक	80	80/1 80/2	0.8473 17 बीघा 6 बिस्वा	अमोलक रत्न कोहली पुत्र केदारनाथ कोहली हिस्सा-1/2 एवं श्री श्याम प्रताप सिंह राठौर पुत्र वा. कौशलेन्द्रसिंह राठौर हिस्सा 1/2 जाति राठौड़, 2 मोहरी पत्नी गन्ना हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 397/2365, दिलीप सिंह पुत्र श्री महा सिंह हिस्सा 205/4730, जाहगीर सिंह पुत्र श्री महासिंह हिस्सा 112/2365

01/5/22
260



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


अतः उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख 7 दिन की ओर के भीतर-भीतर कारण बताये कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिये क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त वित्तगमों से मुक्त निहित किया जा सकें।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन 2022 वर्ष के 04.....(मास) 29.....के दिन जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-18
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-18
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7/ Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-2244 दिनांक:- 27.4.20 22

—:सूचना:—

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्षों में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री संजय बगरेट पुत्र श्री माधव बिहारी बगरेट (बाबा आर.एन.गौड गू.नि.स.स.लि. की योजना कमल विहार)	03	400.00
2	श्री सावंत सिंह पुत्र स्व. श्री सबल सिंह (मित्र गू.नि.स.स.लि. की योजना सुमेर नगर विस्तार जी ब्लॉक)	G- 33	222.22
3	श्रीमती अमीता गुप्ता पत्नी श्री प्रदीप गुप्ता (हसनपुरा-ए गू.नि.स.स.लि. की योजना सुखिजा विहार-ए)	58	111.87
4	श्री जितेन्द्र सचदेवा पुत्र श्री जयदयाल सचदेवा (हसनपुरा-ए गू.नि.स.स.लि. की योजना महावीर नगर-सी)	143	288.50

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

20/5/22
261

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2021-22/101755

दिनांक: 02/05/2022

लोक सूचना

मनोज कुमार पुत्र बेरीसाल जाति मीणा सा.देह.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय(ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जयसिंहपुरा बास भांकरोटा सांगानेर (जयपुर)	मनोज कुमार पुत्र बेरीसाल जाति मीणा सा.देह.	1278/143	1466	रकबा 1.1137 में से रकबा 0.1466 हैक्ट.
			145/2	1134	रकबा 0.24 में से रकबा 0.1134 हैक्ट.
			565	4700	0.47
कुल					0.73

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **02-05-2022** को जारी की गयी।

79
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2022/डी- 849

दिनांक. 2-05-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक: से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	72-ए	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर-जी	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मूल चन्द बैरवा	श्रीमती मालती लाल पत्नी श्री जी.बी. लाल	आवंटन पत्र दि: 13.10.1987, रसीदें अपंजीकृत इकरारनामा दि: 10.05.1992 एवं 24.04.1997 एवं 18.09.1998 आदि प्रस्तुत किये हैं।
2	3	छत्रपति शिवाजी	मॉडल टाउन-ए	श्री श्याम कुमार सिंह राठौड़ पुत्र श्री ऐदेल सिंह	लीजधारक श्री ऐदेल सिंह पुत्र श्री मली खान सिंह	पंजीकृत वसीयत नामा दि: 22.09.2010 लीजधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र दि: 02.01.2022 सजरा शपथ पत्र आदि।
3	शॉप नं. 4	श्री महावीर स्वामी	दुर्गा वाटिका	श्री लोकेश जारानी पुत्र श्री जितेन्द्र जारानी	लीजधारिका श्रीमती रेखा जारानी पत्नी श्री सेवक राम जारानी	लीजधारिका का मृत्यु प्रमाण पत्र दि: 27.04.2021 रजिस्टर्ड वसीयत नामा दि: 09.05.2014 सजरा शपथ पत्र इत्यादि।
4	39-ए	हथरोई गढ़ी	मिलाप नगर	श्रीमती रचना राय पत्नी श्री नारायण लाल विक्की जुल्का पुत्र श्री अनिल जुल्का एवं नीना जुल्का पत्नी श्री अनिल जुल्का	श्रीमती सोहन देवी पत्नी श्री भोलानाथ	आवंटन पत्र दि: 04.05.1993 रसीदें उप रजिस्ट्रार सहकारिता जविप्रा से जारी नाम ट्रांसफर पत्र द्वारा जारी दि: 05.07.2018 एवं 02.08.2001 मुख्तारनामा आम दि: 22.04.2002 विक्रय पत्र 08.10.2002 एवं 07.02.2003 इकरारनामा दि: 19.07.2001 मृत्यु प्रमाण पत्र दि: 12.05.2021 इत्यादि प्रस्तुत किये हैं।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त (जोन-4)
उपायुक्त विकास प्राधिकरण
जयपुर, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2355

दिनांक 2/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	D-143	133.30	श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी- 153, तिलेश्वर महादेव मंदिर के पास, सेनोर पब्लिक स्कूल, तेलिपाडा, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान-302016	श्री गणपति गृ.नि.स. स.लि.	गणेश विहार विस्तार
2	D-143A	133.30	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री राम किशोर शर्मा, निवासी- सी-96, अर्चना नगर, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान।	श्री गणपति गृ.नि.स. स.लि.	गणेश विहार विस्तार
3	D-144	300.00	श्री बद्रीनारायण मीणा पुत्र श्री पांचूराम मीणा, निवासी-प्लॉट नम्बर 146, गणेश नगर-1, ए-ब्लॉक, बैनाड रोड, जयपुर, राजस्थान।	श्री गणपति गृ.नि.स. स.लि.	गणेश विहार विस्तार

उक्त भूखण्डों का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302004

दूरभाष - Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in